


112



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12087 निगरानी
I/किरानी/दतिया/अर्जा/2017/4634

श्री. रमेश चंद्र कवरिया
द्वारा आज दि. 24-11-17 को
प्रस्तुत

बल्लभ ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- १- मनीषा कुमार
- २- मंगेश उपा मनीषा
- पुत्रगणा पवन कुमार निवासी ग्राम खड़ीजा,
- तेहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

दि 6-12-17

Naled.

233n8A
28/99/96

----- प्रार्थीगण

विराध

- १- रमेश चन्द्र पुत्र नारायण दास गुप्ता,
निवासी कखा व तेहसील इन्दरगढ़,
जिला दतिया-मध्यप्रदेश।
- २- पवन कुमार पुत्र मदनमोहन,
निवासी ग्राम खड़ीजा, तेहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण



निगरानी विराध आदेश तेहसीलदार महोदय, तेहसील इन्दरगढ़ दिन 16
२६-१०-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता १९५६। प्र० क्र०
८। अ-७०। १६-१७ मीजा नेतुआपुरा ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, ठेक ठेकदार तेहसीलदार महोदय की आज्ञा कानून
सही नहीं है ।
- २- यह कि, तेहसीलदार महोदय ने प्रकरण के स्वरूप संकानूनी
स्थिति को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, विवादित आदेश स्वयं बोला हुआ आदेश न होने से
आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में निरस्त
योग्य है ।
- ४- यह कि, तेहसीलदार महोदय ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र

3

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिलेखकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 8/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26/10/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य</p>	